महेश कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव

अ0शा0प0सं0-123/87-2023-मंत्री-30-अ0ऊ0स्रो0वि0/2020

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
कक्ष संख्या-224, बापू भवन
उ0प्र0 शासन

दूरभाष 0522: 2239083 & 2214704
Email Id-acsenergyup@gmail.com

लखनऊ : दिनांक 05 अप्रैल, 2023

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 प्रख्यापित की जा चुकी है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का आशय यह है कि नगर क्षेत्र में सकल विद्युत खपत का कम से कम 10 प्रतिशत भाग सौर ऊर्जा का हो। इस प्रयोजन हेतु यू0पी0 नेडा द्वारा बजट व्यवस्था भी करायी गयी है।

अयोध्या क्षेत्र को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अलग से कार्य योजना बनायी गयी थी और उसका कियान्वयन भी हो रहा है। सुलभ सन्दर्भ हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अयोध्या या निदेशक, नेडा से अयोध्या की कार्य योजना की रूपरेखा देखी जा सकती है। इसमें सम्मिलित विभिन्न कार्यों को या उससे इतर अन्य कार्यों को स्थानीय स्तर की आवश्यकता के आधार पर सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए कतिपय कार्य निम्न प्रकृति के हो सकते हैं:-

कमांक	कार्यो/संयंत्रों का विवरण	प्रयोजन
1	स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाईट	मार्ग प्रकाश व्यवस्था
2	सोलर हेरीटेज हाई मास्ट	मार्ग प्रकाश व्यवस्था
3	सोलर बोट	जल परिवहन एवं पर्यटन
4	चौराहो का ऊर्जीकरण	सजावटी प्रकाश
5	सोलर वाटर किऑक्स	शुद्ध पेय जलापूर्ति
6	ई-रिक्शा	हरित परिवहन
7	ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन	हरित परिवहन
8	गार्डन एवं पार्क की रोशनी हेतु सोलर लाईट	सजावटी प्रकाश
9	सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र	विद्युत बचत
10	वाणिज्यिक भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र	विद्युत बचत
11	घरेलू भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र	विद्युत बचत
12	वेण्डिंग जोन का सोलराईजेशन	निर्बाध विद्युत आपूर्ति

यह सूची मात्र उदाहरणात्मक है। इसमें से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजनाओं को हटाया जा सकता है या नई योजनायें भी सम्मिलित की जा सकती हैं।

इसमें से रूफटॉप सोलर की स्थापना प्रमुख है। नगर निगम में आन ग्रिड और आफ ग्रिड दोनो प्रकार की सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना कराके सोलर सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासों, सरकारी भवनों, गैर सरकारी संस्थानों के भवनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना व्यापक स्तर पर करायी जानी होगी।

निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना नेट–मीटरिंग व्यवस्था के साथ की जायेगी। सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना पर केन्द्र सरकार से अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त रू0 15,000/– प्रति किलोवाट अधिकतम रू0 30,000/– प्रति उपभोक्ता राज्य अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था है। अनुदान का लाभ लेने के लिए भारत सरकार के एम0एन0आर0ई0 के पोर्टल पर लाभार्थी को आनलाइन आवेदन करना होगा। नेडा के स्थानीय अधिकारी इसमें सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

सरकारी संस्थानों में ओपेक्स मोड में बिना Capital Expenditure के RESCO (Renewable Energy Supply Company) के द्वारा रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना करायी जा सकती है। गैर सरकारी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नेट बिलिंग व्यवस्था के साथ सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाना होगा तथा शहर में रात्रि सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट एवं सोलर हाई मास्ट की स्थापना करायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त वाटर पम्पिंग स्टेशनों, एसटीपी, चार्जिंग स्टेशन पार्क एवं उद्यानों का भी Solarisation किया जा सकता है, जिससे नगर निगमों के संसाधन में भारी बचत होगी।

सोलर सिटी के विकास हेतु सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना भी व्यवस्थित है। वर्ष 2011 की नगर निगम क्षेत्र की जनगणना के अनुसार रुपये 100/– प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी। यह अनुदान राशि यूपीनेडा द्वारा सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु नगर निगम को अपने बजटीय प्राविधान से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने मण्डल के समस्त नगर निगम क्षेत्रों के लिए नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु नेडा से समन्वय करते हुए विस्तृत कार्य योजना/परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवाने का कष्ट करें तथा उसे निदेशक, नेडा, उत्तर प्रदेश को विलम्बतम 20 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सहसंलग्न

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–123 (1)/87–2023–मंत्री–30–अ0ऊ0स्रो0वि0/2020, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संबंधित जनपद के नगर आयुक्त।

2– निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) लखनऊ।

3– यूपीनेडा के सम्बन्धित जिले के जनपदीय अधिकारी द्वारा निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), लखनऊ।

4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव।